न्यायालय सहायक कलक्टर निम्बाहेडा, जिला चित्तौडगढ (राज.)

(पीठासीन अधिकारी – विकास पंचोली आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या 225 / 2022
जीसीएमएस न0 2022 / 665

1. बंशीलाल पिता मोती उर्फ मोतीलाल जी जाति नायक आयु 55 साल निवासी सेमलिया तहसील निम्बाहेडा राज०
2. श्री ऊकारलाल पिता प्रथा जी जाति नायक आयु 65 साल निवासी सेमलिया तहसील निम्बाहेडा राज०
3. भैरूलाल पिता मोहनलाल जी जाति धाकड आयु 61 साल निवासी सेमलिया तहसील निम्बाहेडा जिला चित्तौडगढ़ राज०

बनाम प्रार्थीगण

1. श्री कारूलाल पिता घीसालाल जी जाति रेगर आयु 62 साल निवासी सेमलिया तहसील निम्बाहेडा राज०
2. श्री खेमराज पिता घीसालाल जी जाति रेगर आयु 58 साल निवासी सेमलिया तहसील निम्बाहेडा राज०
3. श्रीमति श्यामा कुमारी पुत्री कालुराम जी जाति रेगर आयु वयस्क निवासी सेमलिया हाल मुकाम निम्बाहेडा तहसील निम्बाहेडा राज० विपक्षीगण

विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र धारा 251ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित :– 1– श्री रामचन्द्र धाकड – अधिवक्ता प्रार्थीगण

:: निर्णय ::

दिनांक 12.08.2024

1. प्रकरण में संक्षिप्त विवरण मामला इस प्रकार है कि प्रार्थी ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955 का प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि प्रार्थीगण के अलग अलग आराजीयात वाके मौजा सेमलिया पटवार हल्का डल्ला उर्फ किशनपुरा तहसील निम्बाहेडा जिला चित्तौडगढ़ राज० में स्थित है। प्रार्थी 1 एक के आराजी नम्बर 857 / 779 रकबा 0.9400 हेक्टेयर लगानी 18.24 रूपये वाके दर्ज रेकार्ड है। प्रार्थी 2 दो के [illegible] 777 रकबा 0.0600 हेक्टेयर लगानी 1.14 रूपये, आराजी नम्बर [illegible] 1.0900 हेक्टेयर लगानी 20.71 रूपये वाके दर्ज रेकार्ड है। प्रार्थी संख्या [illegible] आराजी नम्बर 773 रकबा 0.3500 हेक्टेयर लगानी 8.93 रूपये वाके दर्ज रेकार्ड [illegible]

Signature Not Verified
Digitally signed by Vikas Pancholi
Date: 2024.10.10 15:44:15 IST
Reason: SelfAttested

2. उक्त वर्णित आराजीयात गाँव सेमलिया से पुर्व दि[illegible] चरलियाँ ब्राहम्मणान की ओ[illegible] जो जाने आने का मुख्य रास्ता दर्ज राजस्व रेकार्ड होकर गाँव से पुर्व दिशा में स्थित है। जिसके आराजी नम्बर 660 रकबा 0.4600 है० मु० रास्ता दर्ज रेकार्ड है। सरकारी दर्ज रास्ते के दक्षिण दिशा की तरफ विपक्षीगण के खातेदारी एवं कब्जे

सहायक कलक्टर
निम्बाहेड़ा

Scanned by CamScanner

काश्त की आराजी नम्बर 780 रकबा 1.1300 हेक्टेयर स्थित है। आ० न0 780 की पश्चिम दिशा में स्थित मेड के सहारे सहारे उत्तर से दक्षिण दिशा तक मानि प्रार्थीगण की आराजीयात तक रास्ता मौके पर पुर्व में चालु होकर प्रार्थीगण अपनी आराजीयात तक उक्त रास्ता गाडी गडार का हल, बैल, कृषि उपकरण लाने ले जाने टेक्टर इत्यादी के लिए शुरू से ही उक्त रास्ते का ही प्रार्थीगण कदीम से उपयोग उपभोग करते चले आ रहे है। इस आराजी के सरकारी रास्ते के पास जहाँ से यह विपक्षीगण की आराजी शुरू होती है उसके उत्तर दिशा में सरकारी आम रास्ते में गाँडी गडार, टेक्टर, हल बैल कृषि उपकरण लाने ले जाने का मुख्य रास्ते का उपयोग उपभोग करते चले आ रहे है लेकिन जहाँ विपक्षीगण की आराजी शुरू होती है वहीं पर लगभग 14–15 फीट चौडाई में रास्ता बन्द कर दिया जिसमें होकर ही आगे प्रार्थीगण दक्षिण में स्थित अपनी अपनी आराजीयात में मौके पर जाते है। जिसका उपयोग उपभोग शुरू से ही प्रार्थीगण बिना किसी बाधा के करते चले आ रहे हैं।

3. प्रार्थीगण की आराजी पर आने जाने के लिए मुख्य रास्ते से दक्षिण की ओर जाने के बाद जहाँ विपक्षीगण के आराजी नम्बर 780 की उत्तरी पश्चिमी मेड शुरू होती है वहाँ से दक्षिण की ओर यानि की प्रार्थीगण आराजीयात तक मेड़ के सहारे सहारे प्रार्थीगण के पिताजी दादाजी के जमाने से बिना किसी बाधा के आते जाते है। इसी आराजीयात के की पश्चिमी मेड के सहारे सहारे रास्ता गोंडी गडार, टेक्टर, हल बैल कृषि उपकरण लाने ले जाने चले आ रहे जो लगभग 14–15 फीट चौडाई में हैं उसको विपक्षीगण द्वारा बन्द करके मुख्य रास्ते के वहाँ पर बन्द करने की धमकिया दे रहे है। जिसका विपक्षीगण को कोई हक अधिकार नहीं है। जहाँ विपक्षीगण द्वारा प्रार्थीगण के रास्ते बन्द किया गया उसको नजरी नक्शा में लाल श्याही से मार्क करके दर्शाया गया है। प्रार्थीगण उनकी पैत्रिक आराजीयात पर नहीं आ जा पा रहे, मौके पर रास्ता बन्द कर दिया गया। जिसको प्रार्थीगण राजस्व नक्शा ट्रेस में जहाँ पुराना रास्ता था उस अनुसार आराजी के पश्चिमी मेड के सहारे सहारे उत्तर से दक्षिण तक यानी प्रार्थीगण की आराजीयात तक 14–15 फीट चौडाई में रास्जव रेकार्ड में दर्ज करावे जाने के अधिकारी है। इसके अलावा प्रार्थीगण की आराजीयात पर आने जाने के लिए अन्य कोई रास्ता नहीं होने से प्रार्थीगण के खेत की हँकाई जुताई भी जब विपक्षीगण नहीं रहते उस समय जाकर करने पर विवश होना पड़ रहा है। यदि उक्त रास्ता विपक्षीगण द्वारा जबरन बन्द कर दिया गया तो प्रार्थीगण को हजारों रूपयों का नुकसान फसल बुवाई नहीं करने की स्थिति में होगा।

4. प्रार्थीगण की आराजी पर जाने जाने का जो एक मात्र रास्ता पुराना उसके दादाजी के जमाने से मौके पर स्थित होकर उसका उपयोग उपभोग करते चले आ रहे है उस मार्ग को प्रार्थीगण उपरोक्त वर्णित अनुसार राजस्व रेकार्ड तथा नक्शा में दर्ज कराया जाना न्यायोचित है। इस रास्ते के अलावा शुरू से अन्य कोई रास्ता मौके पर मौजूद नहीं था। इस रास्ते को रेकार्ड में दर्ज कराया जाना आत्यंतिक आवश्यक हो गया है। रास्ता राजस्व रेक[illegible] करने बाबत जो भी प्रतिकर संदाय की राशि हो वह प्रार्थीगण विहित [illegible] जमा कराने को तैयार है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Vikas Pancholi
Date: 2024.10.10 15:44:15 IST
Reason: SelfAttested

5. प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर[illegible] जरिये सूचना पत्र तलब किया गया। तहसीलदार निम्बाहेडा ने रिपोर्ट मय मौ[illegible] रिपोर्ट इस न्यायालय को प्रस्तुत कर निवेदन किया कि आराजी नम्बर 777, 779, 784 प्रार्थी श्री उंकार पिता प्रथा नायक के नाम दर्ज रेकार्ड है। आराजी नम्बर 770 सरकारी नाला भूमि. 769 रकबा 0.25 बिलानाम मगरी एंव 867/769 0.11 मगरी नगरपालिका निम्बाहेडा के नाम

सहायक कलक्टर निम्बाहेड़ा

Scanned by CamScanner

दर्ज रेकार्ड है। मोके पर प्रार्थी की भूमि में जाने हेतु बिलानाम आराजी नम्बर 769 एंव 867/769 में रास्ता उपलब्ध होकर मोके पर चालू होना बताया गया जिससे प्रार्थी आता-जाता है। प्रार्थी की भूमि पर रास्ता उपलब्ध होने से अब अलग से रास्ता देने योग्य प्रकरण नहीं पाया गया।

6. दोनो पक्षो के अभिवचनो के आधार पर बहस उभयपक्ष सूनी गई । पत्रावली का अवलोकन किया गया प्रार्थी द्वारा अपने प्रार्थना पत्र में प्रस्तुत दस्तावेज का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया गया एवं विद्वान अधिवक्ता की बहस में मनन किया गया

7. प्रकरण में प्रार्थना पत्र के साथ अप्रार्थी तहसीलदार की मौका-रिपोर्ट का अवलोकन किया गया। बहस पर मनन किया गया। प्रकरण में तथ्यों का गहन विश्लेषण से पूर्व राजस्थान काश्तकारी अधिनियम-1955 की धारा 251-'क' का उद्धरण यहॉ प्रतीत होता है-

धारा 251-क- अन्य खातेदार की जोत में से होकर भूमिगत पाइपलाइन बिछाना या नया मार्ग खोलना या विद्यमान मार्ग का विस्तार करना-(1) जहॉ

(क) कोई अभिधारी, अपनी जोत की सिंचाई के प्रयोजन के लिए किसी अन्य खातेदार की जोत में से होकर भूमिगत पाइपलाइन बिछाना चाहता है या

(ख) कोई अभिधारी या अभिधारियों का कोई समूह अपनी जोत या, यथास्थिति, उनकी जोतों तक पहुचने के लिए अन्य खातेदार की जोत में से एक नया मार्ग बनाना चाहता है, या किसी विधमान मार्ग को विस्तारित या चौड़ा करना चाहता है-

और मामला पारस्परिक सहमति से तय नहीं होता है तो ऐसा अभिधारी या, यथास्थिति, ऐसा अभिधारी ऐसी सुविधा के लिए सम्बधित उपखण्ड अधिकारी को आवेदन कर सकेगे, और उपखण्ड अधिकारी, यदि सक्षिप्त जॉच के पश्चात उसका समाधान हो जाता है कि-

(1) यह आवश्यकता आत्यंतिक आवश्यकता है और यह जोत के केवल सुविधाजनक उपभोग के लिए नहीं है, और

(2) अन्य खातेदार की जोत में से होकर, विशिष्ठ नये मार्ग के मामले में, पहुचने के वैकल्पिक साधन का अभाव सिद्ध किया गया है-

तो आदेश द्वारा, आवेदक को, अभिधारी को, जो उस भूमि को धारित करता, द्वारा सीमांकित या दर्शित लाईन के साथ-साथ भूमि की सतह से कम से कम 3 फिट नीचे पाईप लाईन बिछाने के लिए या ऐसे ट्रैक पर, जो उस अभिधारी द्वारा जो उस भूमि को धारित करता है, दर्शाया जाये, भूमि में से होकर, और यदि ऐसे ट्रैक दर्शित नहीं किया जाये तो लघुत्तम या निकटतम रूट से एक नया मार्ग जो 30 फिट से अनाधिक तक विस्तारित या चौड़ा करने के लिए, उस अभिधारी को, जो उस भूमि को धारित करता है, जिसमें से होकर पाईप लाईन बिछाने या एक नया मार्ग बनाने या विद्यमार्ग को चौड़ा करने का मार्ग मंजूर किया जाये, ऐसे प्रतिकर के संदाय पर जो विहित रीति से उपखण्ड अधिकारी द्वारा अवधारित किया जाये, अनुज्ञात कर सकेगा।

न्यायालय सहायक कलक्टर निम्बाहेड़ा-जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)

(1) जहॉ-उपधारा (1) के अधीन नया मार्ग बनाने या किसी विद्यमान मार्ग को विस्तारित करने या चौड़ा करने का [illegible] किया जाये वहां ऐसे मार्ग को समाविष्ट करने वाली उस भूमि के [illegible] में अभिधृति निर्वापित की हुई समझी जायेगी और वह भूमि [illegible] अभिलेखों में "रास्ता" के रूप में अभिलिखित की जायेगी।

Signature Not Verified
Digitally signed by Vikas Pancholi
Date: 2024.10.10 15:44:15 IST
Reason: SelfAttested

(2) वे व्यक्ति, जिनको उपधारा (1) में निर्दिष्ठ सुविधाओं में से किसी भी सुविधा के उपभोग के लिए अनुज्ञात किया गया है, उक्त सुविधा के

सहायक कलक्टर
निम्बाहेड़ा

Scanned by CamScanner

आधार पर उस जोत में, जिसमें से होकर ऐसी सुविधा मंजूर की जाये, कोई भी अन्य अधिकार अर्जित नहीं करेंगे।

8. उक्त राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251–क एवं राजस्थान काश्तकारी (सरकार) नियम 1955, के नियम 68 लगायत 70 के उद्धरण से स्पष्ट है कि धारा 251–क के अन्तर्गत कोई खातेदार अपनी आराजी तक कृषि कार्य बाबत् आमद–रफत हेतु अन्य खातेदारों की आराजी में से होकर रास्ता रिकार्डेड अंकित करवा सकता है। इस हेतु उक्त राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251–क निम्न पूर्वशर्तो को आरोपित करती है जो इस प्रकार है–

    1. खातेदार की रास्ते बाबत् अन्य रिकॉर्डेड रास्ते के विकल्प की अनुपस्थिति।
    2. खातेदार की रास्ते बाबत् आत्यान्तिक आवश्यकता।
    3. लघुत्तम दूरी का नवीन मार्ग के विकल्प का प्रस्ताव।

9. वादग्रस्त आराजियात मौजा सेमलिया की आराजी नम्बर 777, 779, 784 प्रार्थी श्री उंकार पिता प्रथा नायक के नाम दर्ज रेकार्ड है। मोके पर प्रार्थी की भूमि में जाने हेतु बिलानाम आराजी नम्बर 769 एंव 867/769 में रास्ता उपलब्ध होकर मोके पर चालू है। ऐसी स्थिति में एक रास्ता होते हुए दूसरा रास्ता दिया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है तथा केवल सुविधा की दृष्टी से नया रास्ता नहीं दिया जा सकता है। ऐसी स्थिति में प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य नहीं है।

8. **अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (ए) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम साबित नहीं होने से खारीज किया जाता है। प्रकरण फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।**

निर्णय आज दिनांक 12.08.2024 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया

सहायक कलक्टर (राज.) जिला चित्तौड़गढ़

(विकास पंचौली)
उपखण्ड अधिकारी
निम्बाहेडा
सहायक कलक्टर
निम्बाहेड़ा

Signature Not Verified

Digitally signed by Vikas Pancholi
Date: 2024.10.10 15:44:15 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner